**भास्कर ए. सावंत**, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज, राजस्थान
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर-302 005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक/अध्यक्ष डिस्काम्स्/प्रावै.सहा./एफ. प्रे. 430 दिनांकः 25.12.2021

# आदेश

**विषय :– कृषि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की वसूली बाबत्।**

वर्तमान में कृषि उपभोक्ताओं पर अत्यधिक बकाया राशि की प्रभावी वसूली एवं कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि नियमित एंव कटे हुए कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता 30.11.2021 तक की बकाया राशि बिना ब्याज/पैनल्टी के 6 द्विमासिक किश्तों में जमा करा सकेंगे जिसके लिए संबंधित सहायक अभियन्ता अधिकृत रहेंगे। इस योजना में उपभोक्ता 31 मार्च 2022 तक संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। कटे हुए कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही चालू किये जा सकेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्काम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

अध्यक्ष डिस्काम्स

Tel. : +91-141-2740118 (O) • Fax : +91-141-2744187 • e-mail : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in

CS Scanned with CamScanner